



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 382/XXXVI (3)/2016/76(1)/2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016” पर दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 41 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा अधिनियम, 2016
(अधिनियम संख्या 41, वर्ष 2016)

सरकारी प्रत्याभूति एवं उससे सम्बन्धित अन्य विषयों व आनुषंगिक विषयों के विनियमन हेतु -

अधिनियम

(भारत गणराज्य के सदसद्वे वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।)

संक्षिप्त नाम,
विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा अधिनियम, 2016 है।
(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करे।

परिभाषा

2. (क) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
(ख) 'सरकारी प्रत्याभूति' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागीय उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, संवैधानिक बोर्डों एवं निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अन्य प्राधिकरणों एवं अभिकरणों को प्रदान की जाने वाली प्रत्याभूति अभिप्रेत है;
(ग) 'विहित' से इस अधिनियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(घ) 'निजी कम्पनी' से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा परिभाषित निजी कम्पनी अभिप्रेत है;
(ङ) 'निजी संस्था' से वह संस्था अभिप्रेत है जो कि अपने कुल वित्तपोषण का 50 प्रतिशत से कम सरकारी अभिकरणों से प्राप्त करता हो;
(च) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।

सरकारी प्रत्याभूति की
अधिकतम सीमा

3. (1) किसी वर्ष की पहली अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल प्रत्याभूति की मात्रा राज्य के उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(2) किसी वर्ष में दी जाने वाली कुल नई सरकारी प्रतिभूति उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह कि अति आपातकालीन परिस्थितियों एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, जहाँ सरकार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र राजकोषीय नीति सम्बन्धी उपायों को अपनाने की अपेक्षा होगी, वहाँ ऐसे उपाय सरकार उपधारा (1) और (2) के अधीन विहित परिसीमा से अधिक कर सकेगी।

सरकारी प्रत्याभूति
पर सीमा

4. किसी अन्य अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी:-
- (1) सरकारी प्रत्याभूति सामान्यतः विभागीय उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, संवैधानिक बोर्डों एवं निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अन्य प्राधिकरणों एवं अभिकरणों की ओर से सरकार द्वारा विस्तारित की जायेगी।
 - (2) वैयक्तिकों, निजी संस्थाओं या निजी कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले ऋण पर प्रत्याभूति प्रदान नहीं की जायेगी।

प्रत्याभूति शुल्क

5. (1) सरकार प्रत्याभूत ऋण का न्यूनतम 1 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क अधिरोपित करेगी, जिसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जायेगा।
- (2) परियोजना की भुगतान सम्बन्धी जोखिम के आधार पर सरकार, अधिसूचना के द्वारा पूर्व विनिर्दिष्ट प्रत्याभूति शुल्क पर बढी हुई दरें विहित कर सकेगी;

टिप्पणी- "भुगतान सम्बन्धी जोखिम" से सरकार द्वारा जिसके लिये प्रत्याभूति दी गई है उसे चुकाने में ऋणी की चूक की सम्भावना से है, जो उधार ली गई धनराशि की मात्रा, उद्योग के प्रकार तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर होगी।

प्रत्याभूति मोचन निधि

6. (1) धारा 5 के अधीन अधिरोपित प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया जायेगा और इसे राज्य के लोक खाते में रखा जायेगा।
- (2) प्रत्याभूति मोचन निधि का विनियमन ऐसी रीति से होगा जैसा विहित किया जाय।

सरकार की नियम
बनाने की शक्ति

7. सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

विभिन्न निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सांविधानिक बोर्डों एवं निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अन्य प्राधिकरणों एवं अधिकरणों द्वारा जो ऋण ब्याज पर लिया जाता है, उस पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति प्रदान की जाती है। इस प्रकार की प्रत्याभूति दिये जाने को कानून के द्वारा विनियमित किया जाना उचित है।

2— राज्य सरकार जो ऋण पर गारंटी देती है, उस पर एक सीमा निर्धारित किये जाने के लिये यह विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है। इसमें किसी वर्ष के पहली अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल प्रत्याभूति की मात्रा राज्य के उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। साथ ही किसी वर्ष दी जाने वाली नई सरकारी प्रत्याभूति उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3— इस अधिनियम के बन जाने से राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति से सम्बन्धित विषयों का विनियमन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

4— अधिनियम उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।